

भाग-III

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

दिनांक 13 सितम्बर, 2019

संख्या का०आ० 69/के०अ०29/2005/धारा 25/2019.— निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 29) की धारा 25 की उपधारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, रोकड़ परिवहन कार्यकलापों के लिए निजी सुरक्षा अभिकरणों द्वारा सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने की रीति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) ये नियम हरियाणा निजी सुरक्षा अभिकरण (रोकड़ परिवहन कार्यकलापों के लिए निजी सुरक्षा) नियम, 2019, कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. (1) इन नियमों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,- परिभाषाएं।

(क) "अधिनियम" से अभिप्राय है, निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 29);

(ख) "एटीएम" से अभिप्राय है, स्वचालित गणक मशीन, जो रोकड़ का वितरण करती है या अन्य बैंककारी सेवाओं को करती है जब किसी बैंक का कोई खाता धारक उसमें बैंक कार्ड डालता है;

व्याख्या - इस खंड के प्रयोजनों के लिए "बैंक कार्ड" में शामिल हैं क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड;

(ग) "रोकड़ प्रबंधन अभिकरण", "रोकड़ पुनः-पूर्ति अभिकरण" या "रोकड़ पारगमन अभिकरण" से अभिप्राय है, कोई अभिकरण या संस्था, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो रोकड़ परिवहन कार्यकलापों में लगी हुई है;

(घ) "रोकड़ परिवहन कार्यकलापों" से अभिप्राय है, रोकड़ जैसे बैंक-नोट, सिक्के, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या अन्य मूल्यवान वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर भौतिक अंतरण, और जिसमें शामिल है किसी एटीएम मशीन में रोकड़ डालना या उससे रोकड़ को निकालना;

(ङ) "निजी सुरक्षा" या "निजी सुरक्षा अभिकरण" का वही अर्थ होगा, जो उसे अधिनियम की धारा 2 के खंड (च) या खंड (छ) में दिया गया है;

(च) "अनुसूची" से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची।

(2) नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित तथा अधिनियम में परिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो उन्हें क्रमशः अधिनियम में दिए गए हैं।

3. (1) रोकड़ परिवहन के कार्यकलापों के लिए तब तक निजी सुरक्षा अभिकरण द्वारा कोई निजी सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी जब तक वह इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति धारण न करता हो। रोकड़ परिवहन के कार्यकलापों इत्यादि के लिए निजी सुरक्षा।

(2) रोकड़ के परिवहन के कार्यकलापों के लिए निजी सुरक्षा उपलब्ध कराने के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित के बीच कोई संविदा की जा सकती है:-

(क) कोई निजी सुरक्षा अभिकरण, जो, इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति रखता है और संबधित बैंक; या

(ख) कोई रोकड़ प्रबंधन अभिकरण और संबधित बैंक :

परन्तु यदि रोकड़ प्रबंधन अभिकरण अधिनियम के उपबंधों के अधीन निजी सुरक्षा अभिकरण के रूप में अनुज्ञप्ति रखता है, तो ऐसा रोकड़ प्रबंधन अभिकरण स्वयं, इन नियमों के अनुसार रोकड़ परिवहन कार्यकलापों के लिए निजी सुरक्षा उपलब्ध करा सकता है।

विशेष रूप से डिजाइन की गई और तैयार की गई रोकड़ वैन का उपयोग।

4. (1) कोई भी निजी सुरक्षा अभिकरण किसी बैंक या रोकड़ प्रबंधन अभिकरण को रोकड़ परिवहन कार्यकलापों के लिए तब तक निजी सुरक्षा या निजी सुरक्षा गार्ड उपलब्ध नहीं कराएगा जब तक ऐसे कार्यकलाप उसके स्वामित्वाधीन या बैंक या रोकड़ प्रबंधन अभिकरण के स्वामित्वाधीन, जैसी भी स्थिति हो, वाली सुरक्षित रोकड़ वैन, जो प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट डिजाइन और विशिष्टियों की शर्तों का अनुपालन करती है, में नहीं किए जाते।

(2) किसी निजी सुरक्षा अभिकरण द्वारा रोकड़ परिवहन कार्यकलाप के लिए किसी भी टैक्सी या किराये पर लिए गए वाहन का उपयोग नहीं किया जाएगा।

परन्तु किसी भी वाहन का, जो किसी निजी सुरक्षा अभिकरण या बैंक या रोकड़ प्रबंधन अभिकरण के साथ दीर्घ अवधि की संविदा पर है और वाहन, उपनियम (1) के अधीन अधिकथित डिजाइन और विशिष्टियों की शर्तों का अनुपालन करता है, निजी सुरक्षा अभिकरण द्वारा उपयोग किया जा सकता है :

परन्तु यह और कि किसी सुदूर स्थान की दशा में, जहां निजी सुरक्षा अभिकरण विद्यमान नहीं हैं और किसी करंसी तिजोरी द्वारा सेवाएं नहीं दी जाती हैं, तो ऐसे स्थान पर स्थानीय पुलिस के कठोर सुरक्षा नियन्त्रण और सहायता देने के अधीन किसी अपवाद के रूप में किसी भी वाहन का उपयोग किया जा सकता है।

प्रति रोकड़ वैन के लिए अपेक्षित प्रशिक्षित कर्मचारिवृंद संख्या।

5. (1) निजी सुरक्षा अभिकरण उसके द्वारा रोकड़ परिवहन कार्यकलापों के लिए प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त या नियोजित प्रशिक्षित कर्मचारिवृंद की अपेक्षित संख्या, जो उपनियम (2) में यथा विनिर्दिष्ट की जाए, निजी सुरक्षा के लिए उपलब्ध कराएगा।

(2) प्रत्येक सुरक्षित रोकड़ वैन में प्रत्येक एकल रोकड़ परिवहन कार्यकलापों के लिए निम्नलिखित कर्मचारिवृंद होंगे जो अधिनियम की धारा 10 के अधीन अधिकथित अर्हताएं और प्रशिक्षण रखते हों, अर्थात्:-

- (i) चालक - एक;
- (ii) सशस्त्र सुरक्षा गार्ड- दो; और
- (iii) एटीएम अधिकारी या अभिरक्षक -दो।

(3) रोकड़ वैन की हर समय कम से कम दो प्रशिक्षित सशस्त्र सुरक्षा गार्डों द्वारा अभिरक्षा की जाएगी :

परन्तु सुरक्षित रोकड़ वैन में ले जाई जा रही रोकड़ की राशि पर निर्भर करते हुए और वैयक्तिक कंपनी के बीमा दिशानिर्देशों के अनुसार या ग्राहक संविदा या संचालन के क्षेत्र के अनुसार किसी रोकड़ वैन में दो से अधिक सशस्त्र सुरक्षा गार्डों को तैनात किया जा सकता है।

(4) जहां कोई सुरक्षित रोकड़ वैन मध्यम मोटरयान है, तो एक सशस्त्र गार्ड चालक के साथ आगे बैठेगा और दूसरा वैन के पिछले भाग में बैठेगा और पारगमन, लादने या उतारने, शौच, चायपान या भोजनावकाश के दौरान कम से कम एक सशस्त्र सुरक्षा गार्ड हर समय सुरक्षित रोकड़ वैन में उपस्थित रहेगा।

(5) इन नियमों में, किसी अन्य उपबंध के होते हुए भी, भूतपूर्व सैनिक, अन्यथा से पात्र है, को रोकड़ परिवहन कार्यकलापों के लिए सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए निजी सुरक्षा अभिकरण द्वारा नियुक्त या नियोजित करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

कार्मिकों के पूर्ववृत्त की जांच।

6. (1) कोई भी निजी सुरक्षा अभिकरण रोकड़ परिवहन कार्यकलापों के लिए किसी भी कार्मिक को तब तक नियुक्त या नियोजित नहीं करेगा या नहीं लगाएगा जब तक तत्समय प्रवृत्त अधिनियम या किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुसार अभिकरण द्वारा उन्हें नियुक्त करने या लगाने या नियोजित करने से पूर्व ऐसे कार्मिकों के पूर्ववृत्त की पूर्ण जांच और उसका उचित "अपने ग्राहक को जानिए" (केवाईसी) सत्यापन तथा पुलिस सत्यापन न कर लिया जाए।

व्याख्या: इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए "अपने ग्राहक को जानिए" अभिव्यक्ति से अभिप्राय है, अभिकरण या कारोबार से सहयोजित या सहयोजित किए जाने वाले उसके ग्राहकों या व्यक्तियों की पहचान और सत्यापन करने वाले अभिकरण या कारोबार के "अपने ग्राहक को जानिए" प्रक्रिया।

(2) प्रत्येक निजी सुरक्षा अभिकरण, रोकड़ परिवहन कार्यकलापों में भाग लेने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करने या नियोजित करने से पूर्व निम्नलिखित जांचों का अनुपालन करने के लिए उत्तरदायी होगा, अर्थात्:-

- (क) पुलिस समाशोधन प्रमाणपत्र - प्रत्येक व्यक्ति, नियुक्ति या नियोजित किए जाने से पूर्व अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन से पुलिस समाशोधन प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा;

- (ख) निवास स्थान का सत्यापन — निजी सुरक्षा अभिकरण, प्रत्येक व्यक्ति के निवास स्थान के पते का भौतिक सत्यापन, जिसमें सामान्य आचरण की जांच भी शामिल है, करने के लिए अपने स्वयं के संसाधनों का प्रयोग करेगा और व्यक्ति रोकड़ परिवहन कार्यकलाप के लिए नियुक्त या नियोजित किए जाने से पूर्व कम से कम पिछले तीन वर्ष के अधिवास के पते का प्रमाण सुरक्षा अभिकरण को प्रस्तुत करेगा;
- (ग) पूर्व नियोजक की जांच— निजी सुरक्षा अभिकरण, अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग किसी भी व्यक्ति के पूर्व नियोक्ता के साथ संदर्भ जांच करने के लिए करेगा;
- (घ) आधार का सत्यापन — रोकड़ परिवहन कार्यकलाप के लिए नियुक्त या नियोजित किसी भी व्यक्ति का आधार नंबर के माध्यम से भारत के विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से पूर्व में सत्यापन करवाएगा;
- (ड.) क्रेडिट इतिहास की जांच — निजी सुरक्षा अभिकरण प्रत्येक नियुक्त या नियोजित व्यक्ति के क्रेडिट इतिहास की जांच करवाएगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि रोकड़ परिवहन कार्यकलाप के लिए जानबूझकर क्रेडिट व्यतिक्रमी तो नियुक्त या नियोजित नहीं किए गए हैं;
- (च) विश्वस्तता बीमा — निजी सुरक्षा अभिकरण, रोकड़ परिवहन कार्यकलापों के लिए नियुक्त किए गए या नियोजित किए गए प्रत्येक कार्मिक के संबंध में विश्वस्तता बीमा प्राप्त करेगा।

7. निजी सुरक्षा अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि रोकड़ परिवहन कार्यकलापों के लिए नियुक्त या नियोजित किए गए प्रत्येक कार्मिक को,—

कार्मिकों का पर्याप्त प्रशिक्षण और प्रमाणन।

(क) द्वितीय अनुसूची में अधिकथित प्रशिक्षण की अपेक्षाओं के अनुरूप ऐसे कार्याकलापों की सुरक्षा और सुरक्षित प्रबंध के लिए प्रशिक्षण और प्रमाणित किया जाएगा; और

(ख) प्रत्येक दो वर्षों में एक बार पुनःश्रवण प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

8. (1) प्रत्येक रोकड़ परिवहन कार्यकलाप केवल ऐसी सुरक्षित रोकड़ बैंकों में किए जाएंगे, जिनमें जीपीएस लक्ष्यानुसरण खोज यन्त्र लगा हो।

परिचालनों के दौरान रोकड़ बैंक का गतिशील जीपीएस लक्ष्यानुसरण।

व्याख्या: इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, "जीपीएस" अभिव्यक्ति से अभिप्राय है, ऐसी वैश्विक स्थिति प्रणाली जो ऐसी अंतरिक्ष आधारित नेवीगेशन प्रणाली है जो सभी मौसम स्थिति में, पृथ्वी पर कहीं भी या उसके निकट जहां पर चार या इससे अधिक जीपीएस उपग्रहों की दृष्टि की अवरुद्ध पंक्ति हों, अवस्थिति और समय की सूचना उपलब्ध करवाती है।

(2) निजी सुरक्षा अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि रोकड़ परिवहन कार्यकलापों के दौरान प्रत्येक सुरक्षित रोकड़ बैंक की परिपूर्ण संचार नवाचार के माध्यम से हर समय निगरानी की जाएगी।

9. (1) रोकड़ परिवहन कार्यकलापों में शामिल निजी सुरक्षा अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी सुरक्षित रोकड़ बैंक प्रति ट्रिप पांच करोड़ रुपये से अधिक नहीं ले जाएगी।

एकल रोकड़ बैंक में अधिकतम रोकड़ ले जाने के लिए मार्गदर्शन।

(2) निजी सुरक्षा अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि प्रति ट्रिप दस लाख रुपये से अधिक रोकड़ ले जाने के लिए सुरक्षित रोकड़ बैंक अभिनियोजित की जाएगी।

10. (1) निजी सुरक्षा अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि सभी रोकड़ प्रबंधन, जिसमें गणना, छंटाई और बंडल बांधने संबंधी क्रियाकलाप भी शामिल हैं, निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार सुरक्षित परिसरों में किया जाएगा, अर्थात्:—

बैंक करेंसी के रखे जाने तथा रात भर उसे अंतःकक्ष में रखने के लिए प्रयोग किए गए निजी रोकड़ अंतःकक्ष के लिए विशिष्टियाँ।

(क) निजी रोकड़ अंतःकक्ष परिसरों की अवस्थिति— रोकड़ प्रबंधन क्रियाकलापों के संबंध में उपयोग किए गए परिसर इस प्रकार से अवस्थित हों, जिससे कि क्रियाकलापों/संक्रियाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, जिनमें बैंक के रोकड़ निकासी केन्द्र या पुलिस स्टेशन के समीपतम वाले क्षेत्र भी शामिल हैं, और इनमें ऐसे एकांत क्षेत्र भी शामिल हैं जिनकी अल्प संयोजकता से बचा जा सके;

(ख) परिसरों का डिज़ाइन— परिसरों को इस प्रकार डिज़ाइन किया जाएगा कि उनमें दो भौतिक रूप से स्वतंत्र क्षेत्र होंगे, जिनमें से एक साधारण कार्यालय और दूसरा सुरक्षित रोकड़ प्रक्रिया एवं प्रबंधन कार्यकलापों के प्रयोजन के लिए होगा और उसके अंदर सुरक्षित रोकड़ बैंकों पर रोकड़ जमा, संग्रहण, छंटाई, गणना और रोकड़ का परिदान करने और प्रेषण के लिए स्थान होगा;

- (ग) रोकड़ अंतःकक्ष— निम्नलिखित विशिष्टियों के अनुसार रोकड़ अंतःकक्षों के लिए विनिर्दिष्ट भारतीय रिजर्व बैंक की अपेक्षा को पूरा करने हेतु रोकड़ भंडारण के लिए सुरक्षित क्षेत्र डिज़ाइन किया जाएगा, अर्थात् :-
- ऐसे छोटे शहरों में, जिनकी दस करोड़ रुपये से कम की सीमित रातभर अंतःकक्ष की आवश्यकता है, उनमें रक्षक अलमारी वाली तिजोरी हो;
 - ऐसे प्रचालन केन्द्रों पर, जिनमें दस से एक सौ करोड़ रुपये तक की रातभर अंतःकक्ष की आवश्यकता है, उनमें "ग" श्रेणी अंतःकक्षों के लिए विनिर्दिष्ट भारतीय रिजर्व बैंक के मानकों के अनुसार अंतःकक्ष सुविधा हो;
 - ऐसे वृहद परिचालन केन्द्रों पर, जहाँ एक सौ करोड़ रुपये से अधिक रातभर अंतःकक्ष की आवश्यकता है, उन पर संबंधित बैंक के परामर्श से वर्धित अंतःकक्ष सुविधा हो; और
 - सभी रातभर अंतःकक्ष सुविधाओं में पृथक् और अनन्य पात्रों में बहु बैंकों की करेंसी को भंडारित करने की व्यवस्था हो;
- (घ) रोकड़ अंतःकक्षों की सुरक्षा — निजी सुरक्षा अभिकरण, बैंक की ओर से रोकड़ के सुरक्षित प्रबंधन के लिए प्रयोग किए गए उसके रोकड़ अंतःकक्ष में निम्नलिखित सुरक्षा पहलुओं को सुनिश्चित करेगा, अर्थात् :-
- सशस्त्र निजी सुरक्षा गाड़ों की पर्याप्त संख्या चौबिस घंटे तैनात हो ;
 - परिसर चौबिस घण्टे सात दिन इलैक्ट्रॉनिक निगरानी और मॉनीटरी के अधीन हो;
 - रोकड़ अंतःकक्ष में कैमरों की पर्याप्त संख्या के साथ सीसीटीवी प्रणाली लगी हुई हो, जिसमें कम से कम नब्बे दिन (90 दिन) रिकार्ड करने की सुविधा हो;
 - रोकड़ अंतःकक्ष में कार्यकलाप दोहरी अभिरक्षा आधार के अधीन हो;
 - मुख्य रोकड़ अंतःकक्ष क्षेत्र सभी सुरक्षा मानकों की अनुपालना करता हो जैसे अग्निशमन प्रणाली, धूम्र खोज प्रणाली, आपात लाईन, वाहनों के संचलन की निगरानी करने के लिए नियंत्रण कक्ष, स्व-डायलकर्ता और चोरी सुरक्षा प्रणाली;
 - जी.एस.एम. आधारित स्व-डायलकर्ता, अग्नि और मैग्नेटिक सेंसर वाले सुरक्षा अलार्म संस्थापित किए गए हों ;
 - रोकड़ की लड़ाई और उतराई क्षेत्र रात्रि दृष्टि सीसीटीवी कैमरों द्वारा आच्छादित हों;
 - रोकड़ अंतःकक्ष के भीतर इलैक्ट्रिक विद्युत प्रदाय प्लग इन और प्लगआउट सिस्टम के माध्यम से लगाया गया हो;
 - रोकड़ अंतःकक्ष के भीतर अनावृत लाईट ले जाना पूर्णतया प्रतिषिद्ध हो और शुष्क बैटरी संचालित टॉर्च या आपात लाईट, कोष कक्ष के अन्दर प्रयोग की जाती हो;
 - इन्वर्टर की सहायता से आपात लाईट, सुरक्षा कर्मचारिवृद्धों को सदैव उपलब्ध हो; और
 - रोकड़ प्रसंस्करण और अंतःकक्ष क्षेत्र अधिमानतः इंटरलाकिंग प्रणालियों और फ्रिस्किंग के माध्यम से निर्बाधित और नियंत्रित पहुंच हों।

व्याख्या: इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "सीसीटीवी" अभिव्यक्ति से अभिप्राय है, ऐसा बंद परिपथ वाला टेलीविजन, जो भंडार या कंपनी में कार्यकलापों की निगरानी करने के लिए कैमरों, रिकार्डरों और डिस्प्ले से मिलकर बने स्वतः पूर्ण निगरानी प्रणाली है।

11. (1) निजी सुरक्षा अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी सुरक्षा के अधीन एटीएम में कर्मिंदल उठाईगिरी हानि तथा एटीएम कपट की घटनाओं को कम करने के लिए एक बारगी इलैक्ट्रॉनिक संयोजन ताले लगे होंगे। जोखिम न्यूनीकरण के लिए उपाय।
- (2) किसी एटीएम मशीन में रोकड़ भरने के लिए पूर्व दिन या पूर्वाहन पर बैंक से सग्रहण होगा ताकि उपनियम (3) में नियत नियम समय से पूर्व प्रचालन समाप्त हो सके।
- (3) एटीएम रोकड़ भरने या रोकड़ परिवहन कार्यकलाप :-
- (क) नगरीय क्षेत्रों में 9 अपराहन के बाद;
 - (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में 6 अपराहन के बाद;
 - (ग) वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में 9 पूर्वाहन से पहले या 4 अपराहन के बाद नहीं किया जाएगा।

प्रथम अनुसूची

[देखिए नियम 4(1)]

सुरक्षित रोकड़ बैंक के लिए डिजाइन और विशिष्टता

- (क) मेक-सुरक्षित रोकड़ बैंक— (i) कम से कम 2200 सीसी क्षमता वाले इंजन के साथ, अधिमानतः टर्बोचार्जित, हल्का वाणिज्यिक वाहन हो;
- (ii) सात वर्ष से अधिक पुरानी नहीं हो;
- (iii) में ट्यूबरहित टायर लगे हों;
- (iv) में कम से कम 190 मिलीमीटर भू अंतस्थान हो; और
- (v) में न्यूनतम पांच यात्रियों की जगह हो;
- (ख) अभिविन्यास — रोकड़ बैंक में रोकड़ भंडारण के लिए यात्री कंपार्टमेंट यूनिट से वस्तुतः पृथक् और बंद कंपार्टमेंट होगा;
- (ग) रोकड़ कंपार्टमेंट सुरक्षा — (i) रोकड़ कंपार्टमेंट, बैंक के बाहरी भाग से तब तक पहुंच से बाहर होगा जब तक आंतरिक रूप से हस्तचालित या इलेक्ट्रॉनिक ताले के माध्यम से प्रचालित न किया जाए और रोकड़ बैंक में केवल एक द्वार तथा जाली का फाटक विशेष रूप से स्टील के साथ प्रबलित रूप से लगा हो;
- (ii) रोकड़ कंपार्टमेंट का प्रवेश पीछे की ओर से होगा, जिससे उचित दृश्यमानता, सक्रियात्मक साध्यता और सीसीटीवी निगरानी सुनिश्चित की जा सके;
- (iii) सभी खिड़कियां और हवा रोधक शीशे एक वर्ग इंच से अनधिक के तार की जाली से बने होंगे और प्रत्येक खिड़की की जाली में शस्त्रों के प्रयोग के लिए छह इंच व्यास का एक चक्रिया छिद्र होगा;
- (iv) हूटर बजाने के लिए संकट बटन ड्राइवर और अन्य अभिकारकों के पास उपलब्ध हों;
- (घ) रोकड़ बॉक्स सुरक्षा— प्रत्येक बक्सा तल पर पृथक् जंजीरों और तालों से सुरक्षित किया जाएगा, जो विभिन्न अभिरक्षकों के पास रखी हुई अलग-अलग चाबियों के प्रयोग से खोला और बंद किया जा सके और प्रत्येक बैंक के रोकड़ अधिमानतः किसी अलग बक्से में, जिस पर उसका नाम लिखा हो, ले जाया जाएगा;
- (ङ) अन्य सुरक्षा विशिष्टताएं — (i) सुरक्षित रोकड़ बैंक में एक छोटा सीसीटीवी सिस्टम लगा हो, जिसमें कम से कम पांच दिन की रिकार्डिंग करने की सुविधा हो, और तीन कैमरे कैबिन के आगे, पीछे और भीतर लगे हुए हों;
- (ii) जीएसएम आधारित स्व-डायलकर्ता सुरक्षा अलार्म मोटर चालित सायरन लगा होगा;
- (iii) सुरक्षित रोकड़ बैंक में, किसी आक्रमण की दशा में, त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए भोंपू, अग्निशमन यंत्र और आपात लाइटें लगी होंगी।

द्वितीय अनुसूची

[देखिए नियम 7(क)]

रोकड़ परिवहन कार्यकलापों में नियुक्त या नियोजित कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण

- (क) रोकड़ संभालने और रोकड़ परिवहन कार्यकलापों की जानकारी -
- सेवा का क्षेत्र;
 - दल संरचना;
 - चालक, सशस्त्र गार्ड, रोकड़ अभिरक्षक के कार्य;
 - रोकड़ वैनों का कार्यान्वयन;
 - संबद्ध अभिकरणों के संपर्क ब्यौरे;
 - धमकी और अंतर्वर्तित जोखिम;
 - रिपोर्ट करने की प्रक्रिया;
- (ख) धमकी और जोखिम-
- आपराधिक और बदमाश गतिविधियां;
 - वाहन रखने वाले अपराधियों द्वारा पीछा किया जाना;
 - स्थैतिक और गतिमान वाहन को विनिर्दिष्ट धमकियां;
 - आंतरिक धमकी;
 - दल सदस्यों द्वारा कपटपूर्ण व्यवहार;
 - जीवन हानि तथा आपात;
 - सड़क दुर्घटना और वाहन की खराबी;
 - अग्नि दुर्घटना;
- (ग) रोकड़ वैन की रक्षा और सुरक्षा-
- रोकड़ और मूल्यवान वस्तुओं को ले जाने वाली रोकड़ वैन की अंतरस्थ सुरक्षा विशिष्टता;
 - रोकड़ और मूल्यवान वस्तुओं को ले जाने के लिए रोकड़ बॉक्स;
 - तालाबंद करना और सुरक्षा पद्धति;
 - शस्त्र और गोला बारुद;
 - संसूचना उपस्कर;
 - ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम;
 - अग्निशमन यंत्र;
 - संकट अलार्म;
 - प्राथमिक उपचार किट;
- (घ) अभिकरण-
- निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 29) के अधीन नियंत्रण प्राधिकारी;
 - पुलिस स्टेशन, पीसीआर वैन, पुलिस दूरभाष सहायता;
 - नियंत्रणकारी पर्यवेक्षक और परिचालन प्रबंधक;
 - संबद्ध बैंक का प्रतिनिधि;
 - एंबुलेंस और अस्पताल सेवाएं;

(ड.) शस्त्र, गोला बारुद और दस्तावेज—

- (i) गार्डों को न्यूनतम 12 बोर डीबीबीएल शॉटगन बंदूक उपलब्ध कराई जाएगी। बंदूक का दो वर्ष में कम से कम एक बार फायर टेस्ट होगा। बंदूक के कारतूस दो वर्ष में एक बार बदले जाएंगे। बंदूक की, सरकार से अनुमोदित शस्त्रशाला द्वारा जांच तथा प्रमाणित कराई जाएगी;
- (ii) दस्तावेज— बंदूक अनुज्ञप्ति, पहचान-पत्र और प्राधिकारियों द्वारा अधिरोपित निर्बंधनों के दौरान शस्त्र ले जाने की अनुज्ञा;
- (iii) बदमाशों द्वारा ले जाए जाने वाले वास्तविक शस्त्र;
- (iv) अन्य वस्तुएं, जो बदमाशों द्वारा शस्त्र के रूप प्रयोग की जा सकें;

(च) आपात और घटना प्रतिक्रिया—

- (i) संकट चेतावनी प्रक्रिया;
- (ii) संबद्ध अभिकरणों से सहायता प्राप्त करना;
- (iii) अपराधियों और बदमाशों को भय दिखाकर रोकने और मुकाबला करने के लिए शस्त्र का प्रयोग;
- (iv) दल सदस्यों और प्रेषण की सुरक्षा सुनिश्चित करना;
- (v) स्थिति से मुकाबला करना और वाहन को सुरक्षित जगह की ओर ले जाना;
- (vi) घायलों को निकालना;

(छ) अन्य आंतरिक संगठनात्मक प्रक्रिया—

- (i) पूर्ववृत्त की जांच प्रक्रिया;
- (ii) भविष्य निधि अधिनियम, 1925(1925 का केन्द्रीय अधिनियम 19) और प्रसुविधाएं;
- (iii) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948(1948 का केन्द्रीय अधिनियम 11) और प्रसुविधाएं;
- (iv) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948(1948 का केन्द्रीय अधिनियम 34) और प्रसुविधाएं;
- (v) छुट्टी हकदारी और आवेदन प्रक्रिया;
- (vi) अन्य कंपनी नियम;
- (vii) कर्मचारी के रूप में बाध्यता।

नवराज संधु,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग।